

**LEGISLATIVE ASSEMBLY**  
**NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**Bulletin Part-I**  
**(Brief summary of proceedings)**  
**Friday, 27 September 2024 / 05 Ashwin 1946 (*Saka*)**

No. 72  
11.24 AM

**Shri Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 11.24 AM Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development made a brief statement regarding the subject matter of Short Duration Discussion on '*alleged illegal cutting of 1100 trees to protect the owners of Farm Houses*', raised in the House on 26.09.2024. He also laid copies of the Notices issued by Tree Officer/Deputy Conservator of Forest (South) and DCP (South) in this regard.
  2. 11.30 AM **Special Mention (Rule-280) :**  
The Chair directed that the matters to be raised by the following Members under Rule-280 be *treated as read* :

1. Shri Abhay Verma	6. Shri Akhilesh Pati Tripathi
2. Shri Haji Yunus	7. Shri Rajesh Gupta
3. Shri Jai Bhagwan	8. Shri Naresh Yadav
4. Shri Ajay Mahawar	9. Shri Anil Kumar Bajpai
5. Shri Vijender Gupta	10. Shri Om Prakash Sharma
  3. 11.31 AM **Motion of Thanks (under Rule-114) :**  
**Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip** moved the following Motion :  
*"This House expresses its gratitude to the Delhi Government for its tireless efforts to release the pension of lakhs of beneficiaries of the IG Pension Scheme inspite of the Central Government delaying the release of its prescribed share".*  
The following Member also expressed their views :
    1. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
    2. Smt. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker
    3. Shri Ajay Mahawar
    4. Shri Rajesh GuptaThe Motion of Thanks was put to vote and adopted.
  4. 11.48 AM **Calling Attention (Rule-54) :**  
**Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member** called the attention of the Hon'ble Minister towards organizing '*Chhat Puja*' Festival on the Ghats of river Yamuna as per past practice.
  5. 11.55 AM **Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip** drew the attention of the House regarding alleged interference of the Hon'ble Lieutenant in the election of Standing Committee of MCD.  
The following Members also expressed their views :
    1. Smt. Bandana Kumari
- 12.03 PM The Members of Ruling Party stood up and came into the well of the House in protest.  
The Chair requested the Members to resume their seats. The Members did not relent and continued sloganeering.  
*Uproar in the House.*

6. 12.04 PM **The Chair adjourned the House for 15 Minutes in view of the disturbances.**
7. 12.40 PM **House reassembled.  
Hon'ble Speaker in-Chair.**
8. 12.43 PM Discussion on the matter raised by Shri Dilip Kumar Pandey continued :
  2. Shri Sanjeev Jha
  3. Shri Praveen Kumar
  4. Shri Abhay Verma
  5. Shri Rituraj Govind
  6. Shri Ajay Dutt
  7. Shri Madan Lal
  8. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of OppositionThe Chair also expressed his concern and stated that the action by Hon'ble Lieutenant Governor to interfere in the election process of the Standing Committee was a very serious and direct attack on the democratic process.
9. 01.13 PM **Resolution (Rule-89) :**  
**Shri Kuldeep Kumar, Hon'ble Member** moved the Resolution with the leave of the House regarding allowing mixed land use and ownership rights to the allottees of Dairy Farms which were ordered to be shifted. *(Text Enclosed)*.  
The following Members also expressed their views.
  1. Shri Jai Bhagwan
  2. Shri Naresh Yadav
  3. Shri Sahi ram
  4. Shri Madan Lal
  5. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
  6. Shri Somnath Bharti
  7. Shri Gulab SinghResolution was put to vote and adopted by voice-vote.
10. 01.51 PM **The Chair adjourned the House for lunch break.**
11. 02.54 PM **House reassembled.  
Hon'ble Speaker in-Chair.**
12. 02.54 PM **Short Duration Discussions (Rule-55) :**
  - I. **Shri Bhupinder Singh Joon, Hon'ble Member** initiated discussion on the *deteriorating law and order situation in Delhi and open threats of ransom and extortion from the businessmen.*

02.58 PM The Members of BJP stood up and raised slogans and interrupted the proceedings of the House.  
As the Members continued to disrupt the proceeding, the Chair directed Shri Mohan Singh Bisht, Shri Ajay Mahawar and Shri Om Prakash Sharma to withdraw themselves from the House. The remaining Members of BJP walked out in protest.

03.01 PM The Chair announced that the Chairperson and Members of the Committee on Estimates of Karnataka Legislative Assembly were present in the LG Gallery. The visiting delegates were greeted by the Members.  
**Shri Bhupinder Singh Joon, Hon'ble Member** continued with his speech.  
The following participated in the discussion :
  1. Shri Rajesh Rishi
  2. Shri Kuldeep Kumar

03.20 PM *Members of BJP came back in the House.*
  3. Shri Somnath Bharti

4. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
5. Smt. Bandana Kumari

**Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister** replied to the discussion.

13. 03.34 PM II. **Shri Madan Lal, Hon'ble Member** initiated discussion regarding *misuse of Central Agencies viz. Enforcement Directorate, Central Bureau of Investigation & Income Tax Department against Delhi Government Ministers & MLAs in order to the destabilise the elected Government.*

The following Members participated in the discussion :

1. Shri Jarnail Singh
2. Smt. Rakhi Birla, Hon'ble Deputy Speaker
3. Shri Om Prakash Sharma  
(*Sh. Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport intervened*)
4. Shri Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition
5. Shri Manish Sisodia, Former Deputy Chief Minister
6. Shri Arvind Kejriwal, Former Chief Minister

**Smt. Atishi, Hon'ble Chief Minister** replied to the discussion.

14. 05.12 PM **Consideration and Passing of Bill :**  
**Smt. Atishi, Hon'ble Chief Minister/Minister of Finance** moved that '**The Delhi Goods & Services Tax (Third Amendment) Bill, 2024**' (**Bill No. 03 of 2024**) introduced in the House on 26<sup>th</sup> September 2024 be taken into consideration.

The Bill was considered clause-wise.

**Smt. Atishi, Hon'ble Chief Minister** moved that the Bill be passed.

The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

15. 05.15 PM The Chair expressed his gratitude to the Hon'ble Chief Minister, Hon'ble Ministers, Hon'ble Leader of Opposition and Hon'ble Members before adjourning the House *sine-die*. The Chair also expressed thanks to the staff of Assembly Secretariat, Officers and staff of various Departments of Delhi Government, Security Agencies and Media for their cooperation in the smooth conduct of the sitting of the House.

16. 05.16 PM **National Anthem –Jan-Gan-Man**  
**The Chair adjourned the House *sine-die*.**

**Delhi**  
**27 September, 2024**

**Ranjeet Singh**  
**Secretary**

**विधान सभा**  
**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**  
**समाचार भाग-1**  
**(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)**  
**शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024/आश्विन 05, 1946 (शक)**

**संख्या-72**

**11.24 बजे श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 11.24 बजे श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री ने दिनांक 26.09.2024 को सदन में उठाई गई अल्पकालिक चर्चा की विषय वस्तु "फार्म हाउस मालिकों को बचाने के लिए 1100 पेड़ों की कथित अवैध कटाई" के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया। उन्होंने इस संबंध में वृक्ष अधिकारी/उप वन संरक्षक (दक्षिण) तथा डी.सी.पी (दक्षिण) द्वारा जारी नोटिसों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं।
2. 11.30 बजे **विशेष उल्लेख (नियम-280) :**  
अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम-280 के तहत उठाये जाने वाले मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये :-

1 श्री अभय वर्मा	6 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
2 श्री हाजी युनूस	7 श्री राजेश गुप्ता
3 श्री जय भगवान	8 श्री नरेश यादव
4 श्री अजय महावर	9 श्री अनिल कुमार बाजपेयी
5 श्री विजेंद्र गुप्ता	10 श्री ओम प्रकाश शर्मा
3. 11.31 बजे **धन्यवाद प्रस्ताव (नियम-114) :**  
**श्री दिलीप पांडे, माननीय मुख्य सचेतक** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :  
"यह सदन, केंद्र सरकार द्वारा अपना निर्धारित अंश देने में विलम्ब करने के बावजूद, आई. जी. पेंशन योजना के लाखों लाभार्थियों की पेंशन को अनथक प्रयासों से जारी करवाने के लिए दिल्ली सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता है।"  
निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :
  1. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
  2. श्री राखी बिरला, माननीय उपाध्यक्ष
  3. श्री अजय महावर
  4. श्री राजेश गुप्ताप्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ।
4. 11.48 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम-54) :**  
**श्री संजीव झा, माननीय सदस्य** ने 'छठ पूजा' पर्व पहले की तरह यमुना नदी के घाटों पर आयोजित करने के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया।
5. 11.55 बजे **श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक** ने दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में माननीय उप राज्यपाल के कथित हस्तक्षेप के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया।  
निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :
  1. श्रीमती बंदना कुमारी
- 12.03 बजे सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े हो गये तथा विरोधस्वरूप सदन के बैल में आ गये।  
अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अपना आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे नारेबाजी करते रहे।  
*सदन में शोर-शराबा।*
6. 12.04 बजे अध्यक्ष महोदय ने व्यवधानों के दृष्टिगत सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित किया।
7. 12.40 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

8. 12.43 बजे श्री दिलीप कुमार पांडे द्वारा उठाये गये मामले पर चर्चा जारी :
2. श्री संजीव झा
  3. श्री प्रवीण कुमार
  4. श्री अभय वर्मा
  5. श्री ऋतुराज गोविंद
  6. श्री अजय दत्त
  7. श्री मदन लाल
  8. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
- अध्यक्ष महोदय ने भी अपनी चिंता जाहिर की तथा कहा कि उप राज्यपाल द्वारा स्थायी समिति की चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना बहुत गंभीर मामला है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला है।
9. 01.13 बजे **संकल्प (नियम-89) :**  
**श्री कुलदीप कुमार, माननीय सदस्य** ने जिन डेयरी फार्मों को स्थानांतरित करने के आदेश दिये गये थे, उनके आबंटियों को मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति तथा मालिकाना हक देने के संबंध में सदन की अनुमति से संकल्प प्रस्तुत किया। (पाठ संलग्न)  
 निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :
1. श्री जय भगवान
  2. श्री नरेश यादव
  3. श्री सही राम
  4. श्री मदन लाल
  5. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
  6. श्री सोमनाथ भारती
  7. श्री गुलाब सिंह
- संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।
10. 01.51 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन भोजनावकाश के लिए स्थगित किया।
11. 02.54 बजे सदन पुनः समवेत हुआ।  
 अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
12. 02.54 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम-55) :**  
**I. श्री भूपेंद्र सिंह जून, माननीय सदस्य** ने दिल्ली में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति तथा व्यापारियों को फिरौती और वसूली की खुलेआम धमकी के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की।
- 02.58 बजे भाजपा के सदस्य खड़े हो गये और नारेबाजी करने लगे तथा सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने लगे।  
 चूंकि सदस्यों ने सदन की कार्यवाही को बाधित करना जारी रखा, अध्यक्ष महोदय ने श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री अजय महावर तथा श्री ओम प्रकाश शर्मा को सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया। भाजपा के शेष सदस्यों ने विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।
- 03.01 बजे अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि कर्नाटक विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सभापति तथा सदस्य उपराज्यपाल दीर्घा में उपस्थित हैं।  
 सदस्यों ने आगंतुक प्रतिनिधि-मंडल को बधाई दी।  
**श्री भूपेंद्र सिंह जून, माननीय सदस्य** ने अपना भाषण जारी रखा।  
 निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
1. श्री राजेश ऋषि
  2. श्री कुलदीप कुमार
- 03.20 बजे भाजपा के माननीय सदस्य वापिस आ गये।
3. श्री सोमनाथ भारती
  4. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
  5. श्रीमती बंदना कुमारी
- श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय मंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।

13. 03.34 बजे **II. श्री मदन लाल, माननीय सदस्य** ने निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के उद्देश्य से, केंद्रीय एजेंसियों यथा-प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं आयकर विभाग का दिल्ली सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों के विरुद्ध दुरुपयोग के संबंध में चर्चा प्रारम्भ की। निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
1. श्री जरनैल सिंह
  2. श्रीमती राखी बिरला, माननीय उपाध्यक्ष
  3. श्री ओम प्रकाश शर्मा  
(श्री कैलाश गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री ने हस्तक्षेप किया।)
  4. श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष
  5. श्री मनीष सिसोदिया, पूर्व उप मुख्यमंत्री
  6. श्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री
- श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।
14. 05.12 बजे **विधेयक पर विचार तथा पारित करना :**  
**श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को सदन में पुरःस्थापित “दिल्ली माल एवं सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2024” (वर्ष 2024 का विधेयक संख्या-03) पर विचार किया जाये। विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।  
**श्रीमती आतिशी, माननीय मुख्यमंत्री** ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये। प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।
15. 05.15 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित करने से पहले माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय ने विधानसभा सचिवालय के स्टाफ, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा स्टाफ, सुरक्षा एजेंसियों और मीडिया का सदन की कार्यवाही के सुचारु संचालन में सहयोग देने के लिए भी आभार व्यक्त किया।
16. 05.16 बजे **राष्ट्र गान : जन-गण-मन**  
सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली  
27 सितम्बर, 2024

रंजीत सिंह  
सचिव

## संकल्प

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

इस सदन के संज्ञान में आया है कि तत्कालीन दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1976 में शहर की आबादी से दूर, घने जंगलों में पशु पालन के लिए उपयुक्त स्थानों पर 10 डेयरी फार्मों की स्थापना की,

दिल्ली के निरंतर विकास के परिणामस्वरूप इन डेयरी फार्मों के आसपास कई आवासीय कालोनियों का निर्माण हो गया, जिस कारण कई डेयरी मालिकों को अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा और स्थानीय निवासियों को भी मौजूदा डेयरी फार्मों के कारण अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है,

इन कठिन परिस्थितियों के कारण कई डेयरी मालिकों ने पशु पालन का काम छोड़ दिया और उन पर आजीविका का खतरा मंडरा रहा है,

इसके दृष्टिगत, दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018-19 में श्री गुलाब सिंह यादव की अध्यक्षता में एम.सी.डी, डूसिब, डीडीए और डेयरी फार्म के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन किया, जिसने यह अनुमोदन किया कि इन डेयरी क्षेत्रों का भू-प्रयोग बदलकर मिश्रित भू-प्रयोग (मिक्स लैंड यूज) किया जाये,

यह आश्चर्यजनक है कि उस समिति की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हो पाई हैं और लगभग ढाई लाख परिवारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है और वे अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं,

उपरोक्त गंभीर स्थिति को देखते हुए यह सदन दृढ़तापूर्वक अनुमोदन करता है कि :

उक्त समिति की सिफारिशों के दृष्टिगत, उक्त डेयरी क्षेत्रों का भू-प्रयोग बदलकर मिश्रित भू-प्रयोग (मिक्स लैंड यूज) किया जाये, और

लगभग 05 दशकों से स्थापित इन डेयरी फार्मों के संबंधित मालिकों को अविलम्ब मालिकाना हक प्रदान किया जाये।